

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 19/12/2020

विषय:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान्य पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के परिपत्र द्वारा स्वीकृत वर्द्धित दर के अनुरूप निर्गत विभागीय परिपत्र के आलोक में अनुमान्य अन्तर राशि कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक-3839 दिनांक-18.08.2019, आवंटनादेश पत्रांक-18 (आ०) दिनांक-18.07.2019 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश-22 (स्वी०) दिनांक-24.10.2019, आवंटनादेश-56 (आ०) दिनांक-05.11.2019।

आदेश:- स्वीकृत।

2. राज्य के विभिन्न जिलों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश द्वारा कुल 30 (तीस) एवं 3 (तीन) कुल-33 (तैतीस) जिलों को अनुमान्य राशि की स्वीकृति दी गयी थी। उपरोक्त जिलों को क्रमशः विभागीय आवंटनादेश संख्या-18 (आ०) दिनांक-18.07.2019 एवं आवंटनादेश-56 (आ०) दिनांक-05.11.2019 द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक-488 दिनांक-07.03.2019 द्वारा परिचालित पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-7040 दिनांक-31.10.2019 द्वारा स्वीकृत अनुमान्य वर्द्धित दर पर संबंधित जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान्य अन्तर राशि का निम्नलिखित विवरणी के अनुसार जिला के नाम के सम्मुख अंकित राशि कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रुपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	₹71,324.00 (इकहत्तर हजार तीन सौ चौबीस रुपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	₹77,831.00 (सतहत्तर हजार आठ सौ इक्कतीस रुपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	₹74,810.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ दस रुपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	₹73,350.00 (तिहत्तर हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	₹59,498.00 (उनसठ हजार चार सौ अन्तानवे रुपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	₹1,54,231.00 (एक लाख चौवन हजार दो सौ इक्कतीस रुपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	₹60,827.00 (साठ हजार आठ सौ सत्ताइस रुपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	₹94,719.00 (चौरानवे हजार सात सौ उन्नीस रुपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	₹87,830.00 (सतासी हजार आठ सौ तीस रुपये मात्र)।

कृ०प०उ०...

10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹70,000.00 (सत्तर हजार रुपये मात्र)।
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	₹43,984.00 (तैतालीस हजार नौ सौ चौरासी रुपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹1,66,705.00 (एक लाख छयासठ हजार सात सौ पाँच रुपये मात्र)।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	₹84,215.00 (चौरासी हजार दो सौ पन्द्रह रुपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹2,25,000.00 (दो लाख पचीस हजार रुपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	₹4,692.00 (चार हजार छः सौ बेरानवे रुपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	₹1,55,418.00 (एक लाख पचपन हजार चार सौ अठारह रुपये मात्र)।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	₹1,47,485.00 (एक लाख सैतालीस हजार चार सौ पचासी रुपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	₹69,719.00 (उनहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रुपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	₹22,537.00 (बाईस हजार पाँच सौ सैतीस रुपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	₹2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	₹50,000.00 (पचास हजार रुपये मात्र)
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	₹85,527.00 (पचासी हजार पाँच सौ सत्ताईस रुपये मात्र)
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा।	₹51,523.00 (इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस रुपये मात्र)
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹1,51,786.00 (एक लाख इक्यावन हजार सात सौ छियासी रुपये मात्र)।
कुल:-		₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रुपये मात्र)

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष-0102.28.02-सविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515000010102 है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. इस राशि का आवंटनादेश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करावेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संधिका संख्या-3प/विविध-17-17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक-22/01/2020 को प्राप्त है।







लगातार...

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/विविध-17-17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-30/टि० पर दिनांक-11/02/2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/31(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 19/2/2020

प्रतिलिपि-जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सुपौल पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/31(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 19/2/2020

प्रतिलिपि-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/31(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 19/2/2020

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा एवं सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/31(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 19/2/2020

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संबंधित को सूचित करेंगे।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

Signature

dm